Airo International Research Journal
Peer Reviewed Multidisciplinary Indexed Journal
ISSN: 2320-3714
Volume:23 Issue:3 December 2020

भारतीय ट्रांसजेंडरः एक विरोधाभासी पहचान वाला सीमांत समुदाय

अंकित कुमार

शोध छात्र, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश :–

भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर को किन्नर, हिजड़ा, कोठी, खोजा, थर्ड जेंडर आदि नामो से जाना जाता है। ये वो इंसान होते है जो ना ही पुरुष होने का, ना ही स्त्री होने का दावा करते है। पौराणिक कथाओं व कहानियों में इनके प्रमाण मिलते है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा जैसी सभ्यताओं में भी इनके प्रमाण मिले है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि, किसी भी राजा को ट्रांसजेंडर पर हाथ नहीं उठा चाहिए। हम एक ऐसे समाज में रहते है जिसमें केवल खुद की पहचान पर चर्चा की जाती है व ट्रांसजेंडर समुदाय को किसी प्रकार की इज्जत नही देते है। जिसकी वजह से यह समुदाय अलग–थलग सा पड़ गया यह समुदाय, संपत्ति की विरासत या बच्चे को गोद लेने के सम्बन्ध में उपेक्षित महसूस करता है। उन्हें अक्सर सामाजिक बहिष्कार के रूप मे परिधि के बाहर धकेल दिया जाता है। जिससे कई लोग भीख मांगने और नृत्य जैसे व्यवसाय में सम्मिलित हो जाते हैं। यह एक प्रकार की मानव तस्करी है। कभी–कभी वे खुद को जीवित रखने के लिए, सेक्स वर्कर के रूप में भी कार्य करने हेतु विवश होना पड़ता है। भारत की सरकार और नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार सुनिश्चित करें। ट्रांसजेंडर्स को शामिल किए बिना "हम भारत के लोग" के विचार को वास्तविक तत्वार्थ पूर्ण नहीं होगा। 1994 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मतदान का अधिकार मिला, लेकिन उन्हें मतदाता पहचान पत्र जारी करने का कार्य पुरुष या महिला के आधार पर किया गया। कई को उनकी पसंद की लैंगिक श्रेणी के साथ कार्ड लेने से वंचित कर दिया गया था। ट्रांसजेंडर किसी भी उम्र या लिंग के व्यक्ति होते हैं जो व्यक्तिगत विशेषताओं या व्यवहारों के बारे में पुरुषों और महिलाओं से भिन्न पाए जाते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय को होने वाली मुख्य समस्या रोजगार, शैक्षिक सुविधाओं, आवास, चिकित्सा सुविधाओं में होने वाला भेदभाव है।

मूल शब्द– विरोधाभास, लिंग पहचान, भारतीय समाज, ट्रांसजेंडर

प्रस्तावना :–

भारतीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति, जिसे वैश्विक स्तर पर थर्ड जेंडर के रूप में जाना जाता है, को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से उभयलिंगी माना जाता है और अस्पष्टता के कारण लोग उन्हें शैतान (अपनी यौन पहचान

छिपाते हुए) मानते हैं व शारीरिक, मौखिक रूप से, और यौन दुर्व्यवहार होता हैं। ट्रांसजेंडर को काफी हद तक कलंकित और हाशिए पर रखा गया है। इस प्रकार, प्राचीन भारत से लेकर आज तक, भारतीय समाज ने हिजड़ा और पूर्वनिर्धारित लिंग श्रेणी के बीच अंतर किया। हिजड़ा शब्द भारत में जैविक लिंग रेखाओं को धुंधला और पार करने वाली पहचान, दिखावे और व्यवहार को विस्तृत करता है। हिजड़े ना ही पुरुष होते हैं और ना ही स्त्री होते है, किसी भी उम्र या लिंग के व्यक्ति होते हैं जो व्यक्तिगत विशेषताओं या व्यवहारों के बारे में पुरुषों और महिलाओं से भिन्न पाए जाते हैं, महिलाओं के कपडे पहनना व सजना–धजना इनको पसंद होता है। ये पुरुष या महिला लिंग की पारंपरिक धारणाओं के अनुरूप नहीं हैं, लेकिन दोनों के बीच संयोजन या स्थानांतरित करते हैं।[1] ट्रांसजेंडर के सामाजिक अभाव और उत्पीड़न के आयामों को विकसित समाज में कभी ध्यान से नहीं देखा। हिंदू धर्म में कई मिथक, किंवदंतियां, अनुष्ठान, धार्मिक भूमिकाएं और विषय हैं, जो यौन रूप से अस्पष्ट या दोहरी लिंग अभिव्यक्तियों की धारणा का मनोरंजन करते हैं।[2]

भारतीय हिजड़ों में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और अंतःस्रावी स्थितियां और प्रकार शामिल हैं। हिंदी शब्द हिजड़ा का अनुवाद करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों की विशाल विविधता बाहरी लोगों के लिए भ्रम पैदा करती है। यूनुस, ट्रांसवेस्टाइट्स, समलैंगिकों, उभयलिंगियों, हेर्मैफ्रोडाइट्स और ट्रांससेक्सुअल समुदाय का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्द हैं। उन्हें अन्तर्विभाजित, क्षीण, नपुंसक, ट्रांसजेंडर जाति, पुतली या यौन रूप से विषम या दुष्क्रियाशील भी कहा जाता है। आधुनिक भारत में अनुमानित 5-6 मिलियन भारत में रहते हैं। ट्रांसजेंडर अक्सर अपने स्वयं के समुदायों में एक यहूदी बस्ती की तरह रहते हैं, जिसे घराना कहा जाता है। ट्रांसजेंडर जन्म के समारोहों में नाचते–गाते और जश्न मनाकर जीवन यापन करते है। अब यह समुदाय राष्ट्रीय मुख्यधारा में भी अपनी पहचान बनाने लगा है।[3] वर्ष 2011 की जनगणना में, भारतीय ट्रांसजेंडर के लिंग की पहचान अन्य के रूप में की, जो केवल कुछ ट्रांसजेंडर के अनुमोदन से मिला। 2014 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने कहा कि हिजड़ों को एक अलग तीसरे लिंग श्रेणी के तहत मान्यता दी जानी चाहिए, पर विचार किया।

अध्ययन का उद्देश्य :–

प्राथमिक तौर पर इस अध्ययन का उद्देश्य ट्रांसजेंडर की पहचान संकट जैसी समस्याओं पर प्रकाश डालना है। लिंग पहचान विकार और उनके विरोधाभास यौन प्रथाओं के बीच मार्ग पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर के समाजशास्त्रीय बहिष्करण और लिंग मान्यताओं और उनके परिणाम की दुर्दशा को समझना है। ट्रांसजेंडर की समस्या पूर्ण विश्व के सामने लाकर इस समस्या का सदा के लिए निवारण करना ही मुख्य उद्देश्य है।

शोध विधि :–

किसी भी शोध को करने के लिए शोध विधि का उपयोग में लिया जाता है। जब शोध विधि का उपयोग किया जाता है तब वह शोध जल्द व सूचीबद्ध होने में आसन हो जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित गोलूवाला के आस–पास के क्षेत्रों में 20 ट्रांसजेंडरों से जानकारी एकत्र की गयी। स्नोबॉल तकनीक व सह वर्णनात्मक शोध डिजाइन से शोध कार्य किया। अनुसंधान विषय की पहचान से शुरू होकर उसके निष्कर्ष तक जानकारी सूचीबद्ध किया है। इस शोध में ट्रांसजेंडर की समस्याओं व आवश्यकताओं पर अध्ययन किया गया है।

ट्रांसजेंडर के साथ विरोधाभासी समस्याएँ :–

- **भेदभाव** – ट्रांसजेंडर समुदाय को होने वाली मुख्य समस्याएं रोजगार, शैक्षिक सुविधाओं, आवास, चिकित्सा सुविधाओं में होने वाला भेदभाव है ।
- **पहचान का मुद्दा** – 1994 में, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मतदान का अधिकार मिला, लेकिन उन्हें मतदाता पहचान पत्र जारी करने का कार्य पुरुष या महिला के आधार पर किया गया से कई को उनकी पसंद की लैंगिक श्रेणी के साथ कार्ड लेने से वंचित कर दिया गया था।
- **सामाजिक समस्याएँ** – यह समुदाय संपत्ति की विरासत या बच्चे को गोद लेने के सम्बन्ध में उपेक्षित महसूस करता है। उन्हें अक्सर सामाजिक बहिष्कार के रूप में परिधि में धकेल दिया जाता है जिससे कई लोग भीख मांगने और नृत्य जैसे व्यवसाय में सम्मिलित हो जाते हैं। यह एक प्रकार की मानव तस्करी है। कभी–कभी वे खुद को जीवित रहने के लिए इन्हे सेक्स वर्कर के रूप में भी कार्य करने हेतु विवश होना पड़ता है
- **बेरोजगारी** – ट्रांसजेंडर्स के पास रोजगार के बहुत सीमित अवसर हैं। ट्रांसजेंडरों के पास बाथरूम, शौचालय और सार्वजनिक स्थानों तक कोई पहुंच नहीं है। बाथरूम और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच की कमी प्रत्येक सुविधाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने में ट्रांसजेंडरों द्वारा सामना किए गए भेदभाव का चित्रण है। वे जेलों, अस्पतालों और स्कूलों में समान भेदभाव समस्याओं का सामना करते हैं।
- **आवास की समस्या** – अधिकांश परिवार यह स्वीकार नहीं करते हैं कि उनका पुरुष बच्चा उन तरीकों से व्यवहार करना शुरू कर देता है जिन्हें स्त्री माना जाता है या अपेक्षित लिंग भूमिका के लिए अनुपयुक्त है। परिणामस्वरूप , परिवार के सदस्य अपने बच्चे को किसी लड़की या महिला की तरह व्यवहार करने या कपड़े पहनने के लिए धमका सकते हैं, डांट सकते हैं या हमला भी कर सकते हैं। कुछ माता–पिता समाज के निर्धारित लिंग मानदंडों को पार करने के लिए और एक पुरुष बच्चे से अपेक्षित भूमिकाओं को पूरा नहीं करने के लिए अपने स्वयं के बच्चे को स्पष्ट रूप से निष्कासित कर सकते हैं।

- **अन्य अधिकारों का उल्लंघन** – ट्रांसजेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी से वंचित हैं और इसलिए उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच सीमित है, जो उन्हें कानून से पहले समानता की संवैधानिक गारंटी और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित करता है। यह भी देखा गया है कि समुदाय को भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता है, वोट का अधिकार (अनुच्छेद 326), रोजगार, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आदि हेतु उन्हें बहिष्कृत और अछूत माना जाता है।
- **सामाजिक कलंक** – ट्रांसजेंडर समुदाय को कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है और इसलिए दूसरों की तुलना में कम अवसर होते हैं। वे शायद ही शिक्षित हैं क्योंकि वे न तो समाज द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और इसलिए उचित स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। यहां तक कि अगर वे एक शैक्षिक संस्थान में नामांकित हैं, तो उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और हर दिन उन्हें धमकाया जाता है और उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए कहा जाता है या वे अपने आप बाहर निकल जाते हैं। यह इस वजह से है कि वे भीख और सेक्स वर्कर के रूप में काम करते हैं।

भारतीय विधि व्यवस्था में ट्रांसजेंडर को दिए गए अधिकार :–

भारत में कानून का शासन सर्वोच्च है और कानून की नजर में हर कोई समान है। फिर भी, ट्रांसजेंडर समुदाय एक निरंतर लड़ाई में है क्योंकि उन्हें समाज के हर हिस्से से उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और भेदभाव से सामना करना पड़ता है, चाहे वह अपने परिवार और दोस्तों अथवा समाज में बड़े पैमाने पर हो। ट्रांसजेंडर लोगों का जीवन एक दैनिक लड़ाई है क्योंकि कहीं भी कोई स्वीकृति नहीं है और उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाता है और उनका उपहास भी किया जाता है। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन और ए . के. सीकरी इन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघ व अन्य में पुरुष और महिला के साथ तीसरे लिंग को मान्यता दी। विभिन्न लिंग पहचानों को मान्यता देकर, न्यायालय ने पुरुष 'और' महिला 'की दोहरी लैंगिक संरचना का की सामाजिक मान्यता को समाप्त किया किया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडर्स की मान्यता एक सामाजिक या चिकित्सा मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मानवाधिकार मुद्दा है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानून के समान संरक्षण की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत दी गई है। किसी की लिंग पहचान को चुनने का अधिकार गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए एक आवश्यक हिस्सा है जो कि अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। इसके अतिरिक्त , लिंग के आधार पर किया गया भेदभाव अनुच्छेद 14, 15 , 16 और 21 का उल्लंघन है। न्यायालय अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा लागू की गई किसी व्यक्ति की लैंगिक अभिव्यक्ति की भी रक्षा करता है और कहा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में निहित प्रतिबंधों के अधीन किसी की व्यक्तिगत उपस्थिति या उसके चयन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

न्यायालय ने इस अधिकार को मान्यता दी कि कोई व्यक्ति निजी, व्यक्तित्व और इंसान की स्वतंत्र विचार प्रक्रिया का व्यवहार कैसे करता है, जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। न्यायालय ने आगे उल्लेख किया कि एक व्यक्ति को अपनी गरिमा का एहसास नहीं होगा यदि उसे लिंग में परिपक्व होने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे वह संबंधित नहीं है, जो फिर से उसके विकास में बाधा बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों चुनाव कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों में एक तीसरी श्रेणी शामिल है, और शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों में प्रवेश के लिए, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश दिए हैं।

मानवाधिकार मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं, जो मानव को मानव के रूप में उसकी गारंटी होती हैं जो उसके मनुष्य होने के कारण हैं जो न तो किसी सरकार द्वारा बनाए जा सकते हैं और न ही निरस्त किए जा सकते हैं। इसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। भारतीय दंड सहिंता की धारा 377 का विअपराधिकृत होना ट्रांस्जेंडरो के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है ओडिशा ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के तहत ट्रांसजेंडरों को श्रेणीबद्ध किया है, जो समुदाय को सामाजिक–आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। केरल ने एक ट्रांसजेंडर नीति बनाई है[4]

ट्रांसजेंडर का भारतीय समाज में समायोजन :–

भारत में ट्रांसजेंडर 4000 से अधिक वर्षों से मौजूद है।[5] प्राचीन काल से भारतीय उपमहाद्वीप में ट्रांसजेंडर का एक लंबा इतिहास रहा है, जैसा कि कामसूत्र के समय के बाद से सुझाया गया था। यह इतिहास उपमहाद्वीपीय संस्कृतियों के भीतर हिजड़ों के लिए कई प्रसिद्ध भूमिकाओं का श्रेय देता है।[6] इनमें आमतौर पर हेर्मैप्रोडाइट्स और महिलाएं शामिल होती हैं जो सामान्य जीवन जीने में असमर्थ होती हैं, शादी के लिए असमर्थ होती हैं और बच्चे पैदा करती हैं। उनमें से अधिकांश पुरुषों के करीब हैं, लेकिन वे महिलाओं के जीवन का नेतृत्व करने के लिए झुकाव के कारण मादा के रूप में पहचाना जाना पसंद करते हैं।[7] अधिकांश ट्रांसजेंडर बहुत कम दर्जे के साथ समाज के हाशिये पर रहते है। कुछ रोजगार के अवसर ट्रांसजेंडर को उपलब्ध हैं। कई लोगों को समारोहों (टोली), भीख मांगना (ढेंगना), या सेक्स वर्क (राहा) पर प्रदर्शन करने से रोजगार प्राप्त होता है – यह भी समय से पहले रेकॉर्ड किया गया है।[8] ट्रांसजेंडर के साथ हिंसा व शोषण किया जाता हैद्य अक्सर ट्रांसजेंडर के साथ क्रूर व्यवहार होता है। भारत के साथ–साथ दुनिया के अधिकांश देशों में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ, वे स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, रोजगार, आव्रजन, कानून और किसी भी नौकरशाही में अत्यधिक भेदभाव का सामना करते हैं जो उन्हें पुरुष या महिला लिंग श्रेणियों में रखने में असमर्थ है।

सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध भारतीय उपमहाद्वीप में कई शब्द समान लिंग या लिंग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि ये मोटे तौर पर समानार्थी शब्द हैं, लेकिन क्षेत्रीय सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण इन्हें अलग पहचान के रूप में बेहतर समझा जा सकता है। तेलुगु में, एक ट्रांसजेंडर को

नपुंसकुडु, कोजा, या माडा कहा जाता है। तमिलनाडु में, समतुल्य शब्द थिरु नंगई (मिस्टर महिला), अली, अरवानी या अरुवानी है। उन्हें कोलकाता में दुरानी और कोचीन में मेनका भी कहा जाता है। पंजाबी में, पाकिस्तान और भारत दोनों में खसरा शब्द का उपयोग किया जाता है। अन्य शब्दों में जाँखा शामिल है। गुजराती में, उन्हें पवैया कहा जाता है। उर्दू में, एक और आम शब्द ख्वाजा सिरा है। बंगाली में, ट्रांसजेंडर को हिजड़ा, हिजरे, हिजला, हिजरे या हिजड़ा कहा जाता है।[9],] [10], [11] ब्रिटिश राज के काल के दौरान अधिकारियों ने ट्रांसजेंडरों को मिटाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। जिन्हें उन्होंने सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन के रूप में देखा था।[5] ट्रांसजेंडर को मतदान करने के लिए पुरुष या महिला के रूप में पहचान नहीं बतानी पड़ती, क्योंकि सरकार की ओर से तीसरे लिंग की श्रेणी मिल गई है। 2009 के आम चुनावों में, भारत की चुनाव समिति ने तीन ट्रांसजेंडर की उम्मीदवारी से इनकार कर दिया था क्योकि उन्होंने खुद को पुरुष या महिला के रूप में पहचाना नहीं था।

निष्कर्ष :–

ट्रांसजेंडर पहचान संकट का सामना करते हैं। ये अक्सर समाज में यौन शोषण और शारीरिक हिंसा का सामना करते हैं। इनको सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी से भी बहिष्कृत रखा जाता है। हमें ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ बड़े भेदभाव को रोकने के लिए या भविष्य में यौनकर्मियों से अच्छे नागरिकों के लिए अपना रास्ता निकालने में मदद करने के लिए उनके अतीत या भविष्य पर एक नजर डालने की आवश्यकता है। ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल और विभिन्न सुझाव और सिफारिशें प्रदान करना कि कैसे अधिक जनादेश, विधानों और भारत सरकार की सक्रिय भूमिका को पार करते हुए, ट्रांसजेंडर के प्रति भारतीय समाज के दृष्टिकोण को बदल सकते है। सामाजिक–आर्थिक परिघटना और भारत के साथ–साथ विश्व में ट्रांसजेंडरों की बड़ी संख्या को देखते हुए जटिल गतिविधि को देखते हुए, हमारी सामाजिक परिधि में अपने अस्तित्व को आसानी से बंद करना और उनके अस्तित्व की अनदेखी करना संभव नहीं है। ट्रांसजेंडर के जीवन उत्थान के लिए काफी कदम उठाये जा चुके है लेकिन अभी भी काफी काम करना बाकी है जैसे फ्री शिक्षा, नौकरी में आरक्षण, सूक्ष्म व लघु उद्योग लगाने हेतु ब्याज मुक्त लोन व रोजगार प्रशिक्षण आदि।

संदर्भ सूची :–

1- अगरवाल, अ., जेंडरड बॉडीजः द केस ऑफ द "थर्ड जेंडर" इन इंडिया, कॉन्ट्रिब्यूशन इंडियन सोसाइटी, 1997;31(2):273–297
2- नंदा, स., नाईदर मैन नॉर वुमनः द हिजडा ऑफ इंडिया, वोड्सवर्थ पब्लिशिंग कंपनी, 1999
3- सवैन, स., प्रॉब्लम ऑफ थर्ड जेंडर, सोशल इशू ऑफ इंडिया, न्यू विशाल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006

4- प्राप्त किया: https://dhyeyaias.com/hindi/current&affairs/perfect&7&magazine/transgender&related&issues

5- कालरा, ग., हिजडाः द यूनिक ट्रांसजेंडर कल्चर ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कल्चर एंड मेंटल हेल्थ] 2012;5(2)121–126

6- रायनेर, ज., द थर्ड सेक्स द व्हेन ए बेबी इस नॉट ए बॉय नॉर ए गर्ल , द आब्जर्वर लाइफ मैगजीन, 1998

7- नारायण, स., इन ए ट्वाईलाईट वर्ल्ड, फ्रंटलाइन – द हिन्दू ग्रुप, 2003;20(21):11–24

8- सिदानुज, ज., एवं प्रत्टो, फ., एन इंटरग्रुप थ्योरी ऑफ सोशल इएअर्च्य एंड ओप्पेर्सअन, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999

9- नंदा, स., हिजडा एंड साधिन, कंसट्रकटिंग सेक्सुअलिटिज, पेरासन एजुकेशन, 2003

10- ट्राविक, म., नोट्स ऑफ लव इन ए तमिल फॅमिली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, 1990

11- चक्रपाणी, व., हिजडाः ट्रांसजेंडर वुमन इन इंडियारू एचआईवी, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल एक्सक्लूशन, रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 2010

*****